क्रम-संख्या-21

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 फरवरी, 2007

फाल्गुन 2, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 351/79-वि–1–01(क) 7-2007
लखनऊ, 21 फरवरी, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 20 फरवरी, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या रुपये 18400—22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी किसी प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह होगा परन्तु यह कि उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो।"

(ख) उपधारा (8) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने,—

(क) अध्यक्ष के मामले में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और

(ख) उपाध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।"

(ग) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(8—क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (8) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का पद धारण करने वालों पर भी प्रवृत्त होंगे।"

धारा 4-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4-क में, उपधारा (3) में विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रहा हो या कोई उपाध्यक्ष, जो जिला न्यायाधीश रहा हो, न्यायिक सदस्य समझा जाएगा और कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या रु० 18400—22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी रहा हो, प्रशासकीय सदस्य समझा जाएगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (6) में प्राविधान है कि कोई व्यक्ति प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक उसने किसी मण्डल के आयुक्त या भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद धारण न किया हो या धारण करने के लिये अर्ह न हो और उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो और उक्त धारा की उपधारा (8) के परन्तुक में प्राविधान है कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, यदि उसने, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में, पैंसठ वर्ष की आयु और किसी अन्य सदस्य के मामले में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो पद धारण नहीं करेगा। धारा 4-क की उपधारा (3) में प्राविधान है कि दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासकीय सदस्य होगा और उक्त धारा के स्पष्टीकरण में यह प्राविधान है कि अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रहा हो या कोई उपाध्यक्ष, जो जिला न्यायाधीश रहा हो, न्यायिक सदस्य समझा जाएगा और कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो, प्रशासकीय सदस्य समझा जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उक्त उपबन्धों में संशोधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों और अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण द्वारा राज्य सरकार से किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था की जाय कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी या रुपये 18400-22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के

लिए अर्ह होगा और अध्यक्ष की अधिवर्षिता आयु 67 वर्ष होगी और उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होगी और यह स्पष्ट किया जाय कि अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रहा हो या कोई उपाध्यक्ष, जो जिला न्यायाधीश रहा हो, न्यायिक सदस्य समझा जाएगा और कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या रुपये 18400–22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी रहा हो, प्रशासकीय सदस्य समझा जाएगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-I

No. 351/LXXIX-V-1-1(Ka) 7-2007
Dated Lucknow, February 21, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 20, 2007 :—

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL)
(AMENDMENT) ACT, 2007
[U.P. ACT NO. 4 OF 2007]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)
AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2007.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 17 of 1976

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) for sub-section (6) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(6) An officer of the Indian Administrative Service or an officer of the Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or above shall be qualified for appointment as an Administrative Member provided he has adequate experience in dispensation of Justice."

(b) in sub-section (8), *for* the existing proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:–

"Provided that no Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such after he has attained –

(a) in the case of Chairman, the age of sixty seven years, and

(b) in the case of Vice-Chairman and any other member, the age of sixty-five years."

(c) after sub-section (8) the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

"(8-a) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2007 shall apply also to the Chairman, the Vice-Chairman and other members holding office on the commencement of the said Act."

Amendment of section 4-A

3. In section 4-A of the principal Act, in sub-section (3) *for* the existing Explanation the following Explanation shall be *substituted*, namely:–

"*Explanation*:–For the purpose of this sub-section the Chairman who has been a High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman who has been a District Judge shall be deemed to be a Judicial Member and the Chairman or Vice-Chairman who has been a member of the Indian Administrative Service or an officer of the Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or above, shall be deemed to be an administrative member."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (6) of section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 provides that a person shall not be qualified for appointment as an Administrative Member, unless he has held, or has been eligible to hold, the post of Commissioner of a Division or Joint Secretary to the Government of India and has adequate experience in dispensation of Justice and the proviso to sub-section (8) of the said section provides that no Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office after he has attained, in the case of Chairman or Vice-Chairman, the age of sixty five years and in the case of any other member the age of sixty two years. Sub-section (3) of section 4-A provides that a bench consisting of two members shall include a Judicial Member and an Administrative Member, and the Explanation thereto provides that the Chairman who has been a High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman who has been a District Judge shall be deemed to be a Judicial Member and the Chairman or Vice-Chairman who has been the member of the Indian Administrative Service shall be deemed to be an Administrative Member after due consideration of the requests made to the State Government from various sources and the Chairman, Public Services Tribunal for amending the said provisions in accordance with the present situations, it has been decided to amend the said Act to provide that an officer of the Indian Administrative Service or an officer of the Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or above shall been qualified for appointment as an Administrative Member and the superannuation age of the Chairman shall be 67 years and the superannuation age of the Vice-Chairman and other members shall be 65 years and to clarify that the Chairman who has been a High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman who has been a District Judge shall be deemed to be a Judicial Member and the Chairman or Vice-Chairman who has a member of the Indian Administrative Service or an officer of the Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 18400-22400 or above shall be deemed to be an Administrative Member.

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 3413 राजपत्र (हि0)–(7253)–2007–597(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 252 सा० विधायी–(7254)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)